UPLL010020322021

# न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

**सत्र विचारण संख्या 285/2021**
**सरकार बनाम राजकुमार उर्फ प्रिंस**
**अन्तर्गत धारा 307, 506 भा.द.सं.**
**थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।**

## आरोप

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त राजकुमार उर्फ प्रिंस पुत्र रामरतन, निवासी मसान बाबा के कबूतरा के पास 110 विष्णुपुरा निकट पठापुरा, थाना कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनाँक 30.02.2020 को स्थान पुलिस लाईन कालोनी में आप अभियुक्त द्वारा वादी के भाई हरगोविन्द के गले में जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार कर दिया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त ने वादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो भा.द.सं. की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–03.12.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–03.12.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.12.03 11:46:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

# <u>न्यायालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।</u>

**सत्र विचारण संख्या 285/2021**
**सरकार बनाम राजकुमार उर्फ प्रिंस**
**अन्तर्गत धारा 307, 506 भा.द.सं.**
**थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।**

03.12.2021

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त राजकुमार उर्फ प्रिंस जेरे जमानत समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी के भाई हरगोविन्द पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी है। इसलिए अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 व 506 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 व 506, भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 04.01.2022 को पेश हो।

दिनॉक–03.12.2021

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।